निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 124 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत** के माह 10/2013 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/03/2017 से 31/03/2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानू प्रताप सिंह, स.ले.प.अ., श्री दिनेश कुमार ध्यानी, पर्यवेक्षक एवं श्री रविन्दर कुमार, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/10/2013 से 22/10/2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2007 से 09/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2013 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद चम्पावत अंतर्गत कृषि विकास, भूमि संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

☐ लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	83.21	83.21	56.66	53.77		
2014-15	-	2.89	5.81	65.81	430.46	418.46		
2015-16	-	14.89	68.50	68.50	447.56	423.17		
2016-17 (02/17 तक)	-	39.28	79.72	59.46	327.08	295.08		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(iii) इकाई को बजट आवंटन कृषि निदेशालय देहरादून द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव कृषि विभाग

↓

कृषि निदेशक

↓

अपर कृषि निदेशक

↓

संयुक्त कृषि निदेशक

↓

मुख्य कृषि अधिकारी

↓

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः1- योजना/कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का कम प्राप्त किया जाना।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत के अभिलेखों की नमूना जांच (03/2017) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि कम प्राप्त की गयी। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्रम सं.	योजना /मद कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	व्यय (☐लाख)
वर्ष 2014-15 RKVY					
1	भारी वर्षा से प्राभावित क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यक्र	है.	666	210	31.50
2	कृषि यन्त्रीकरण/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी मिशन/रा.सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना	सं.	201	23	3.30
3	सूक्ष्म पोषक तत्व (गेहू उत्पादन)	है.	500	187	0.75
4	कृषि रसायन/जैव रसायन (गेहूं उत्पादन)	है.	450	232	1.16
5	एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम	है.	670	165	82.08
6	उन्नत बीज वितरण (रा.खा.सु.मिशन दलहन)	कु.	25	10	0.25
7	आतमा योजना	सं.	104	85	17.78
8	समेकित जलागम प्रबन्धन	है.	2181	1465	219.86
9	राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	है.	176	104.05	20.59
वर्ष 2016-17		है			
1	बीज एवं पौध सुरक्षा कार्य (जि.यो.)	है.	1125	925	2.02
2	मृदा एवं जल संरक्षण (जि.से.)	है.	368	250	17.00
	RKVY				
3	जैविक कृषि कार्यक्रम	सं.	265	90	7.70
4	कृषि यन्त्रीकरण/पोस्ट हार्वेस्ट है.मि./रा. सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना	सं.	8056	4	2.76
5	फसलोत्पादन धान/गेहूं (सूक्ष्म पो. तत्व/ कृषि रसायन)	है.	940	900	7.00
6	एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम	है.	11	8	52.00
रा.खा.सु.मिशन (दलहन)					
7	उन्नत बीज वितरण	कु.	300	7.46	0.75
8	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन	है.	800	100	0.09
9	पौध सुरक्षा रसायन	है.	899	139	0.80
10	सब मिशन आन एग्री. मैकनाइजेशन	सं.	23	13	7.15
11	राष्ट्रीय आयलसीड एण्ड आयलपाय मिशन	कु.	11	3	1.94

उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि कम प्राप्त किये जाने के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि दर्शाये गये लक्ष्यों में भौतिक लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये है। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि कम प्राप्त की गयी थी, जो प्रगति आख्या में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थी।

इस प्रकार योजना/कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि कम प्राप्त किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- आतमा (ATMA) योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों/प्रयोजनों के लिए दी गयी अग्रिम धनराशि ☐ 1.21 लाख का समायोजन नहीं होना।

किसी भी शासकीय धनराशि की अग्रिम प्राप्ति के उपरान्त माह के अन्त में अथवा लेखावर्ष की समाप्ति से पूर्व आहरित राशि का समायोजन प्रस्तुत कर लेखों में शामिल किया जाना आवश्यक है ऐसा न होने पर अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति/विभाग के विरूद्ध न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर धनराशि यथा शीघ्र समायोजित/वसूल की जानी चाहिए।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत के अभिलेखों की नमूना जांच (03/2017) में पाया गया कि आतमा (ATMA) योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों/प्रयोजनों के लिए कई विभागों/ कृषकों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों को अग्रिम दिये गये थे। अग्रिम धनराशि ☐ 1,20,800.00 का समायोजन संबंधित से व्यय बाऊचर प्राप्त कर लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया जा सका था जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः

क्रम सं.	विवरण/विभाग/कर्मचारी नाम	चेक सं./दिनांक	असमायोजित अग्रिम भुगतान की गयी धनराशि
1.	सदाशिव जाख, ज्ये. उद्यान निरीक्षक	817870/28-03-14	50,000.00
2.	कृषकों को अग्रिम	578754/14-03-16	9,600.00
3.	अनुभव दयाल	578788/15-10-16	24,000.00
4.	अनुभव दयाल	578793/19-11-16	19,200.00
5.	अनुभव दयाल	578796/14-12-16	18,000.00
		योग ☐	1,20,800.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अवगत कराया कि समायोजन बाऊचर शाघ्र प्राप्त कर समायोजन कर लिया जायेगा। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक एवं कृषकों को दी गयी अग्रिम धनराशि क्रमशः वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 से असमायोजित पड़ी थी जिनसे व्यय बाऊचर प्राप्त कर अथवा संबंधित से वसूली की कार्यवाही कर समायोजित नहीं किया गया था तथा वर्ष 2016-17 में दी गई अग्रिम की धनराशि का समायोजन भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि तक व्यय बाऊचर प्राप्त कर नहीं किया गया था। अतः दी गयी अग्रिम की धनराशि ☐ 1.21 लाख का समायोजन नहीं होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
12/2006-07	-	1,2,3
62/2007-08	1	1,2,3,4
40/2013-14	-	1

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) माप-पुस्तिका सं.- 30/153

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री ए.के. उपाध्याय	मुख्य कृषि अधिकारी	05-10-10 से 10-09-14 तक
2-	श्री आर.के. आजाद	मुख्य कृषि अधिकारी	11-09-14 से 28-09-14 तक
3-	श्री डी.कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी	29-09-14 से 21-08-15 तक
4-	श्री आर.एल. चन्द्रवाल	मुख्य कृषि अधिकारी	22-08-15 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून पिन-248006 को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2